अध्याय - 6

(कोष्टा समुदाय : उनकी व्यवसायिक गतिविधियाँ)

"प्रस्तुत अध्याय में बुनकरों की श्रेणी, वित्त व्यवस्था, कच्ची सामग्री एवं उत्पादन प्रक्रिया, उत्पाद का मूल्य निर्धारण, विपणन एवं प्रशिक्षण का विवेचन किया गया है।"

बुनकरों की श्रेणी -

अध्ययन क्षेत्र के कोष्टा समुदाय में निम्नलिखित तीन श्रेणी के बुनकर विद्यमान है:-

1- निजी / स्वतंत्र बुनकर

2- महाजन बुनकर एवं

3- सहकारी समिति के बुनकर

1-निजी / स्वतंत्र बुनकर :-

व्यवसायिक दृष्टि से ऐसा व्यवसाय जिसका मालिकाना हक एक व्यक्ति के पास हो अथवा ऐसा व्यवसाय जो एक परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें उस परिवार के मुखिया प्रमुख हो नीजि / स्वतंत्र बुनकर की श्रेणी में आता है। ऐसे बुनकर अपने व्यवसाय में स्वंय पूंजी लगाते हैं और कच्ची सामाग्री की खरीदी से लेकर वस्त्रों के निर्माण तथा बिक्री का कार्य निजी / स्वतंत्र रूप में संपन्न करते हैं।

2-महाजन बुनकर :-

महाजन बुनकर पूर्व निश्चित पारिश्रमिक के आधार पर कच्ची सामाग्री बुनकरों को प्रदान करते हैं तथा बुनकर वस्त्र तैयार करके निर्धारित पारिश्रमिक लेकर महाजन को प्रदान करते हैं। महाजन बुनकर होने के लिए बुनकर होना जरूरी नहीं है। बुनाई व्यवसाय का सभी जोखिम महाजन उठाते हैं। अन्य प्रथा में महाजन बुनकर अपने कारखानों में श्रमिक नियुक्त करके कार्य करवाते हैं।

3-सहकारी समितियों के बुनकर :-

कुटीर उद्योग के रूप में बुनाई व्यवसाय का विकास सहकारिता के माध्यम से भी हुआ है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकांश निजी बुनकर किसी न किसी सहकारी समिति से जुड़े हुए हैं। सहकारी समिति अपने सदस्य बुनकरों को उचित दर पर सामाग्री प्रदाय करती हैं एवं बुनकर वस्त्र

तैयार करके इन समितियों को ही बिक्री कर देते हैं । इससे बुनकरों को यह लाभ होता है कि उन्हें कच्ची सामाग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है एवं तैयार माल के विपणन के लिए भटकना नहीं पड़ता ।

वित्त व्यवस्था

वित्त किसी भी व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी होती है । व्यवसाय का स्वरूप छोटा हो या बड़ा, पूंजी की नितांत आवश्यकता पड़ती ही है । इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय को बुनाई व्यवसाय में स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ती है ।

स्थायी पूंजी का प्रबंध व्यवसाय को दीर्घकाल तक बनाये रखने के लिए किया जाता है। स्थायी पूंजी व्यवसाय की मूलभूत आवश्यमता जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, प्रारंभिक व्यय आदि में दृश्य और अदृश्य संपत्ति के रूप में उपस्थित रहती है ।[108] स्थायी पूंजी के स्त्रोतों में स्वयं की पूंजी सहकारी समितियों में सदस्य पूंजी द्वारा वित्तीय संस्थाएं और केन्द्र व राज्य सरकार एवं महाजनों से ऋण लेना शामिल है । सर्वे से ज्ञात हुआ कि अध्ययन क्षेत्र के बुनकर स्थायी पूंजी का प्रबंध स्वंय के साधनों से किये हैं । सर्वेक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र के बुनकर अपना कार्य खानदानी मकानों में करते हैं एवं उन्हें अलग से भवन की जरूरत नहीं है । कुछ मजदूर बुनकर किराये के मकान में रह कर उसी में अपना बुनाई कार्य भी संचालित करते हैं ।

कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अल्पकाल के लिए होती है ।[108] कच्ची सामाग्री, धागा, रंग आदि दैनिक आवश्यकता की चीजों में व्यय हेतु इसकी जरूरत पड़ती है । क्षेत्र के बुनकर कार्यशील पूंजी की व्यवस्था स्वयं के साधनों से करते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर महाजन, बैंक एवं अन्य लोगों से ऋण लेकर पूर्ति करते हैं ।

सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि अध्ययन क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय में निजी /स्वतंत्र बुनकरों की आर्थिक स्थिति दयनीय है एवं महाजन बुनकरों की आर्थिक स्थिति अच्छी है ।

रायगढ़ क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय के बुनकरों के लिए शासन स्तर पर जिले की हाथ करघा विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित है जिनमें बुनकरों को वित्तीय सहायता ऋण और अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसका उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है :- बुनकर सहकारी समिति के बुनकर सदस्यों की समिति के चार अंश क्रय करने के

लिये प्रत्येक अंश 90 रूपये के मान से 360 रूपये का अंश पूंजी ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है एक अंश की कीमत 100 रूपये है जिसमें प्रत्येक सदस्य द्वारा 10 रूपये प्रति अंश के मान से 40 रूपये जमा करने पर शासन की ओर से प्रति अंश 90 रूपये के मान से 36 0 रूपये अंश पूंजी ऋण उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2000-2001 में उक्त योजनान्तर्गत जिले के कोसा बुनाई सहकारी समिति मर्यादित संजयनगर, रायगढ़ के 40 बुनकर सदस्यों को 14400 रूपये, कोसा काताई एवं बुनाई सहकारी समिति मर्यादित मोदीनगर, रायगढ़ के 25 बुनकर सदस्यों को 9000 रूपये की अंशपूंजी ऋण दी गई है । बुनकर सहकारी समितियों के सदस्यों को बाजार मांग के अनुसार आधुनिकतम बुनाई तकनीक के विकास करने के उद्देश्य से बुनकर सदस्यों को उन्नत उपकरण प्रदाय करने के लिए प्रति बुनकर सदस्यों को 2000 से 8000 रूपये तक की सहायता राशि 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण के रूप में दी जाती है । वर्ष 2000-2001 में उक्त योजनान्तर्गत जिले के बुनकर सहकारी समिति मर्यादित जोबी के 10 सदस्यों को 24000 रूपये का अनुदान के रूप में कुल 48000 रूपये प्रदाय गई है । बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने एवं कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से समितियों में जमा अंशपूंजी के विरूद्ध तीन गुने अंक शासन द्वारा आर्थिक ऋण सहायता उपलब्ध करायी जाती है । यह ऋण सहायता ब्याज रहित होती है । वर्ष 2000- 2001में उक्त योजनान्तर्गत जिले के कोसा बुनाई सहकारी समिति मर्यादित संजय नगर, रायगढ़ को 12,000 रूपये कोसा कताई एवं बुनाई सहकारी समिति मर्यादित मोदी नगर, रायगढ़ को 9,900 रूपये, कुल राशि 21,900 रूपये समितियों को प्रदान किया गया है । (स्रोत- हस्तकरघा संचालनालय, रायगढ़)

वस्त्र उत्पादन एवं कम कीमत के वस्त्रों का उत्पादन करने वाली सहकारी समिति को कौशल उन्नतकरघों का आधुनिकीकरण करना, नवीन डिजाईन आदि के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाती है । योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत राज्य शासन का हिस्सा एवं 50 प्रतिशत केन्द्र शासन का हिस्सा होता है । वर्ष 2000-2001 में जिले के सात बुनकर समिति गौरी कोसा बुनकर समिति, शीतला कोसा बुनकर समिति बेलादुला, शारदा बुनकर समिति, कोसा कताई एवं बुनाई समिति टारपाली, शिव बुनकर समिति, आदिवासी कोसा बुनकर समिति रायगढ़, बुनकर समिति कुनकुरी को क्रमशः राशि रूपये 1.70, 0.80, 0.90, 1.30, 1.30, 1.10 एवं 1.00 लाख राशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई जिसमें से समितियों द्वारा क्रमशः 1.58, 0.7 6, 0.76, 0.87, 1.10, 0.89 एवं .87 लाख रू. का उपयोग उन्नत प्रशिक्षण उपकरण डिजाईन

प्रदर्शनी एवं मार्जिन मनी मद में किया गया है । बुनकर सहकारी समिति के ऐसे बुनकर सदस्य जो अपनी बुनाई मजदूरी से 8 प्रतिशत कटौती कराने पर 8 प्रतिशत राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है जिसमें 4 प्रतिशत राज्य शासन एवं 4 प्रतिशत केन्द्र शासन का हिस्सा रहता है । (स्रोत- हस्तकरघा संचालनालय, रायगढ़)

वर्ष 2000-2001 में उक्त योजनान्तर्गत जिले के एक समिति को 12,838 रूपये अनुदान सहायता उपलब्ध करायी गयी है । ऐसी बुनकर सहकारी समितियों जो गैर जनता वस्त्रों का उत्पादन कर विक्रय करती है उन समितियों को वार्षिक टर्नओवर के 10 प्रतिशत के बराबर सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है । योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य शासन का हिस्सा रहता है । वर्ष 2000-2001 में उक्त योजनान्तर्गत जिले के दस समितियों को 1,91,000 रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन की ओर भेजा गया है । बुनकर सहकारी समिति के ऐसे बुनकर सदस्य जो मितव्ययता निधि में कटौती कराते है उनके लिए 10,000 रूपये वार्षिक बीमा कराने का प्रावधान है जिसमें प्रीमियम 120 रूपये है इसमें 40 रूपये राज्य शासन एवं 40 रूपये केन्द्र शासन द्वारा अंशदान किया जाता है । वर्ष 2000 - 2001 में उक्त योजनान्तर्गत जिले के चार समितियों को समूह बीमा योजना प्रतिभूति राशि 2,880 रूपये सहायता उपलब्ध करायी गयी है । एकीकृत हाथकरघा ग्राम विकास योजनान्तर्गत ऐसे ग्राम जहां 100 बुनकर परिवार निवासरत हो उस बुनकर बाहुल्य ग्रामों को समग्र विकसित करने के उद्देश्य से रूपये 25.00 लाख तक की सहायता अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । उक्त योजना का क्रियान्वयन समिति एवं जिले के ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है । उक्त योजनान्तर्गत जिले के ग्राम मुर्रा, तहसील खरसिया का चयन कर वर्ष 1996 में 30.50 लाख रू. स्वीकृत किया गया जिसमें से वर्ष 1998 में राज्य शासन द्वारा रूपये 10.00 लाख रू. जारी की गई है । शासन के ग्रामोद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रूपये कार्यशील पूंजी के अलावा 20 लाख रूपये भी अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था की गई है । (स्रोत- हस्तकरघा संचालनालय, रायगढ़)

कच्ची सामाग्री एवं उत्पादन प्रक्रिया

अध्ययन क्षेत्र के बुनकर कच्ची सामाग्री प्रायः महाजनों एवं सहकारी संस्थाओं से प्राप्त करते हैं । महाजन बुनकर कच्ची सामाग्री बाहर से लाते हैं एवं निजी बुनकरो को बिक्री

करते हैं । निजी बुनकरो जो महाजन बुनकर के लिए पूर्व निर्धारित दर पर वस्त्र उत्पादन का कार्य करते हैं उन्हें महाजनों से कच्ची सामाग्री प्राप्त हो जाती है । कोसा फल बुनकरों को उड़ीसा, चाईबासा (झारखंड) मयूरगंज, बस्तर एवं अध्ययन क्षेत्र चांपा और रायगढ़ से भी प्राप्त हो जाती है ।

अध्ययन क्षेत्र के जांजगीर- चांपा, अकलतरा, बलौदा, चन्द्रपुर, सक्ती, खरौद, केरा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, बरमकेला आदि स्थानों में वस्त्र बुनाई का कार्य किया जाता है । इस क्षेत्र के बुनकरों द्वारा बुनाई प्रक्रिया हाथ करघा पर ही संपन्न किया जाता है । हाथ करघों के आधारभूत एवं महत्वपूर्ण अंग लट्टन, बोबिन, शटल, बीम्स एवं रीड़ होता है । वस्त्र तैयार करने हेतु बुनकरों द्वारा निम्न लिखित प्रक्रियाएं की जाती है :-

कुकिंग (उबालना):-

कोसे को कुकिंग ड्रम, बर्तन या हांडी में उबाला जाता है । उबालने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पानी में सर्फ एवं कपड़े धोने का सोडा मिलाया जाता है । उबले हुए कोसे को पात्र से निकालकर टोकरी में रख दिया जाता है और धुलाई से कोसे खराब न हो इसके लिए बारदानें डाल दिया जाता है ।

सीटिंग (सुरबाना) :-

धुले हुए कोसे को सुखाने के लिए लकड़ी की पेटी या मिट्टी के बर्तन में राख छिड़कर अधिकतर शाम के समय रखा जाता है जिससे वह सुबह तक सूख जाता है ।

कताई :-

उबले हुए कोसा के सूख जाने पर उससे कताई अर्थात् धागा निकालने का कार्य किया जाता है जिसे बुनकर परिवार की महिलाएं का महिला श्रमिक करते हैं । निकले हुए धागे को लकड़ी के एक उपकरण जिसे क्षेत्रिय भाषा में ''नटवा'' कहा जाता है में लपेट दिया जाता है।

रंगाई :-

ताना बनाने के पूर्व सूती वस्त्रों में रंगाई का कार्य क्षेत्र के बुनकर समुदाय के व्यक्तियों द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है । रंगाई का कार्य बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए संपादित

की जाती है । रंगाई हेतु हल्का, मध्यम एवं गाढ़ा रंग उपयोग में लायी जाती है जिनकी कीमत क्रमशः कम, अपेक्षाकृत अधिक एवं सबसे अधिक होती है ।

ताना बनाना :-

सूती वस्त्र उत्पादन में सूत की रंगाई के बाद लकड़ी के गौरेयया तथा अंसारी - में लच्छी सूत को लपेटा जाता है । इसके बाद ताना बनाने के औजार ''जेतीया'' में लपेटा जाता है ।

कोसा वस्त्र उत्पादन में ''नटवा'' में लपेटे धागों को अंसारी में लपेट दिया जाता है , जिसे ''पोला'' तैयार किया जाना कहा जाता है । इस प्रकार तैयार पोला को तेजाब और कॉस्टिक सोड़ा में धोया जाता है इससे उसमें चमक आती है । इसके पश्चात पोला को पुनः अंसारी में लपेटा जाता है । इस प्रकार ताना बनाया जाता है ।

ताना को बुनाई योग्य करना :-

ताना बनाने के बाद धागे को बुनाई योग्य करना पड़ता है इसके लिए ''फनी'' (यह लकड़ी का सांचा हुआ करता है जिसे कपड़े के आकार के अनुरूप तैयार करना पड़ता है) के धागे से प्रत्येक धागे को जोड़ा जाता है जो क्षेत्रीय भाषा में फनी जोड़ना कहलाता है । इस कृत्य को प्रायः पुरूष बुनकर करते हैं ।

सामान्यतया जोड़ते समय धागा आयस में उलझ जाता है इससे बचाने के लिए धागा में माढ़ लगा कर कूची अर्थात बड़ा ब्रस चलाते हैं । इस प्रकार ताना को बुनाई योग्य तैयार किया जाता है ।

बाना बनाना और बाबीन में लपेटना :-

ताना को बुनाई योग्य करने के साथ बाना बनाने का कार्य बुनकर परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है । अंसारी से चरखे की सहायात से बाबीन में लपेटा जाता है । क्षेत्र के बुनकर स्पोक सहित सायकिल के रिंग के चरखे तैयार कियें हैं रायगढ़ क्षेत्र में इस प्रकार की चरखे की बहुलता और इस चरखे की सहायता से बाबीन में भरने का कार्य आसान हो जाता है । क्षेत्रीय भाषा में बाबीन भरने को 'कांड़ा' भरना कहा जाता है । (स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण)

वस्त्र तैयार करना :-

उपर्युक्त सभी कार्य संपन्न कर लेने के पश्चात् बुनकर वस्त्र बुनाई का कार्य करता है । वस्त्र के आकार व प्रकार के अनुरूप बुनाई कार्य में बुनकर लगे होते हैं । अध्ययन क्षेत्र के बुनकर बाजार के मांग के अनुकूल वस्त्र का निर्माण करते हैं।

उत्पाद का मूल्य निर्धारण

बुनकर लागत मूल्य में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत जोड़ कर अपने उत्पादन का मूल्य निर्धारित करता है । सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त हुई कि क्षेत्र के बुनकर अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। निजी बुनकर महाजन से हुए समझौते के मुताबिक पूर्व निर्धारित दरों पर उत्पादित वस्त्र को बिक्री करते हैं । उपयुक्तानुसार अध्ययन क्षेत्र के बुनकर अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करते हैं ।

विपणन

बुनकरों के उत्पाद के विपणन हेतु कोई संगठित बाजार नहीं है फिर भी अध्ययन क्षेत्र के बुनकर वर्तमान में अपने उत्पाद का विक्रय निम्नालिखित तरीके से करते हैं :-

खानदानी पेशेवर व्यापारी :-

बुनकर (कोष्टा) समुदाय अपने उत्पाद को खानदानी पेशेवर व्सवसायियों के पास बिक्री करते हैं । पेशेवर व्यापारी विभिन्न बाजारों में उत्पाद की बिक्री किया करते हैं । सर्वेक्षण में विशेष उल्लेखनीय जानकारी यह मिली कि अध्ययन क्षेत्र के बुनकर स्वजातिय व्यापारियों के पास ही अधिकांश निर्मित वस्त्र बेचते हैं साथ ही कोष्टा समुदाय के उपभोक्तागण भी स्वजातिय व्यापारियों से ही खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं ।

वस्त्र व्यापारी :-

बुनकर अपने उत्पादों को आम वस्त्र व्यापारियों को बेचते हैं । ये वस्त्र व्यापारी जहां कोसा वस्त्र उत्पादन का केन्द्र नहीं है वहां अपनी दुकानें संचालित कर रखे हैं ।

मध्यस्थ :-

उत्पादित वस्त्रों को बुनकर मध्वस्थों के जरिये भी बेचते हैं । थोक विक्रेताओं /

फुटकर विक्रेताओं को महाजन/कमीशन एजेंट के जरिये भी बुनकर अपने माल को बेचते हैं।

रायगढ़ क्षेत्र के बुनकर (कोष्टा) समुदाय अपने उत्पाद का विपणन कमीशन एजेंट जिसे क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा में महाजन कहा जाता है के माध्यम से सर्वाधिक करते हैं। निजी बुनकर महाजनों को वस्तुएं बेचते हैं इसमें उन्हें अधिक कीमत मिलता है। वे बुनकर जो महाजनों के पास से कच्ची सामाग्री लेकर बुनाई कार्य करते हैं उन्हें तैयार वस्त्रों को उसी महाजन के पास बिक्री करना पड़ता है। इसमें उन्हें बुनाई कार्य की मारिश्रमिक प्राप्त होती है। यद्यपि इस प्रथा में बुनकरों को कम आय प्राप्त होती है परंतु व्यापार में मंदी के समय भी उन्हें आर्थिक हानि नहीं पहुंचती क्योंकि महाजनों से उन्हें पूर्व निर्धारित मजदूरी मिल जाती है। (स्रोत- व्यक्तिगत सर्वेक्षण)

वर्तमान में शासन स्तर पर बुनकरों को नियमित रोजगार से संलग्न करने हेतु उनसे उत्पादित वस्त्रों का क्रय शासकीय विभागों के लिए उनके कार्य स्थल से ही करने प्रयास किए जा रहें है। क्षेत्र के बुनकर सहकारी समितियों में उपलब्ध स्टाक से प्राप्त क्रय आदेशों की आपूर्ति करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। (स्रोत- बुनकर सेवा केन्द्र रायगढ़)

प्रशिक्षण

कोष्टा समुदाय परंपरागत ढंग से बुनाई कार्य प्राचीन समय से करते आ रहे हैं उन्हें बुनाई कला की सीख विरासत में प्राप्त हुई है। किंतु वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में परंपरागत ढंग से निर्मित वस्तुओं की मांग आधुनिक शैली में उत्पादित वस्तुओं की मांग की तुलना में काफी कम है। फलस्वरूप बुनकर एवं उनकी हाथकरघा व्यवसाय के विकास के लिए शासन स्तर पर पहल की जा रही है। इस पहल में बुनकरों को दक्ष एवं कुशल कारीगर बनाने हेत उचित प्रशिक्षण का प्रबंध किया जाना भी शामिल है।

केन्द्र सरकार के रायगढ़ स्थित बुनकर सेवा केन्द्र द्वारा डिजाईन कम ड्राइंग के संबंध में बुनकरों के लिए गत वर्ष 10 कार्य शालाएं आयोजित की गई थी एवं वर्तमान में इस तरह के 15 कार्य शालाएं आयोजित करने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2-2 माह के 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम बुनकरों के लिए चलाया गया था एवं चालू सत्र में प्रदेश में 2-2 माह के 08 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25-25 बुनकरों को प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें 55 रू. शिष्यवृत्ति दी जाती है। विकेन्द्रकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बुनकर

सेवा केन्द्र द्वारा कलस्टर में जाकर बुनकरों को तकनीकी सहायोग, डिजाइन इत्यादि के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है ।(स्रोत- मंत्रालय, ग्रामोद्योग विभाग, छ. ग. शासन, रायपुर)

क्षेत्र के चांपा में बुनकर सेवा केन्द्र का अस्थायी विस्तार किया जाना प्रस्तावित है एवं यहां डेव्हलमेंट ऑफ एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट एण्ड मार्केटिंग योजना के तहत 25 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाना संभावित है । साथ ही इस केन्द्र में समय-समय पर तकनीकी सहयोग और डिजाइन परामर्श भी दिये जाने की योजना है । (स्रोत- सहायक संचालक, हस्तकरघा संचालनालय, रायगढ़)

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिये बुनकरों को ऐसी डिजाइन बनाने को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिससे इस नवोदित राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके।

---000---